म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
"ऊर्जा भवन", लिंक रोड क्र. 2, शिवाजी नगर भोपाल

निविदा क्रमांक–ऊविनि / भवन रखरखाव / 20–21 / 2460 / 2792 भोपाल दिनांक 24.11.2020

पुरानी सामग्री की विक्रय हेतु पुनार्क्षित दस्तावेज प्राप्ति सूचना

निगम द्वारा अनुपयोगी सामग्रीयों के विक्रय हेतु दिनांक 27.10.2020 को निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी, उक्त निविदा के पुनार्क्षित दस्तावेज 04.12.2020 तक पूर्व में दस्तावेजों के क्रय हेतु रूपये 1000/– के भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्ते निगम की वेब साईट www.mprenewable.nic.in पर देखी जा सकती है।

प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल को, बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः अमान्य करने का अधिकार होगा।

अधीक्षण यंत्री

ऊर्जा भवन,लिंक रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
E-mail– mduvnb@gmail.com Web-www.mprenewable.nic.in
फोन : 0755-2553595, 2556246

म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
"ऊर्जा भवन" लिंक रोड क्र. 2, शिवाजी नगर भोपाल

निविदा क्रमांक–ऊविनि/भवन रखरखाव/20–21/2460/2792 भोपाल दिनांक 24.11.2020

निविदा की **शर्तें**

1 निविदा दस्तावेज कार्यालयीन दिवस में 05.00 बजे तक भवन रखरखाव कक्ष से रूपये 1000/– के नगद भुगतान कर दिनांक 04.12.2020 तक प्राप्त किये जा सकते है। पूर्व में जिन निविदाकर्ताओं ने निविदा दस्तावेज प्राप्त करने हेतु रूपये 1000/– का भुगतान किया था, वह किये गये भुगतान की रसीद अथवा भुगतान का वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत कर पुनार्क्षित निविदा दस्तावेज निशुल्क 04.12.2020 तक प्राप्त कर सकते है।

2 निविदायें दिनांक 05.12.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक जमा होगी जो उसी दिन दोपहर 03.15 बजे उपस्थित व्यक्तियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी। यदि उस दिनांक को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्यालयीन दिवस में खोली जावेगी।

3 निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल के नाम से देय होगा, जिसे निविदा के साथ संलग्न करना होगा। पूर्व निविदा में सम्मिलित निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 10,000/–का डिमान्ड डाफ्ट प्रस्तुत किया था, और वह पुनः पुनार्क्षित दस्तावेजों के साथ निविदा में सम्मिलित होने को इच्छुक है तो पूर्व में प्रस्तुत किये गये डिमान्ड डाफ्ट को पुनार्क्षित दस्तावेजों के साथ, पुनः निविदा प्रस्तुत कर सकते है।

4 निविदा में सामग्रीवार क्रय हेतु प्रस्ताव देना होगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर **18 प्रतिशत जी.एस.टी (Goods and service tax) तथा 1 प्रतिशत टी.सी.एस. (Tax collection at source) का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा अतिरिक्त देय होगा।**

5 ई वेस्ट से संबंधीत सामग्री का विक्रय उन्हीं अधिकृत संस्थाओं/ रि–साईकलर को किया जावेगा जो केन्द्र/मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत होगें। बैट्री के क्रय हेतु अधिकृत रि–साईकलरों/संस्थाओं को उनके अधिकृत होने का प्रकरण पत्र जो केन्द्रीय/मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो कि सत्यापित छायाप्रति लगाना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

6 बैट्री के विक्रय हेतु निविदा में जिस अधिकृत संस्था/रिसाईकलर द्वारा अधिकतम मूल्य प्रस्तुत किया जावेगा उन्हें बैट्री का विक्रय किया जावेगा एवं विक्रय से पूर्व बैट्री के विक्रय की प्रविष्ठि उनके रि–साईकलिंग पास बुक में की जोवगी। **बैट्री के निविदा प्रस्ताव खोलने से पूर्व इकाई**

के **प्रतिनिधी को रि–साईकलिंग पास बुक की मूल प्रति उपस्थित निगम अधिकारियों को अवलोकित करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।** अतः निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनके पास रि–साईकलिंग पासबुक अवश्य हो अन्यथा उनकी निविदा निरस्त करते हुये, धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

7 सादे कागज अथवा विलंब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

8 पंजीकृत पत्र अथवा फैक्स से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकर्ता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही निविदा कार्यालय में जमा करना होगा।

9 निविदा में प्राप्त अधिकतम दर की स्वीकृति होने की सूचना संबंधित निविदाकर्ता को सूचित होने के 10 दिवस के अंदर संपूर्ण राशि का भुगतान निगम में डिमांड ड्राफ्ट जो म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल को देय होगा जमा कर सामग्री को कार्यालयीन दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा कर सामग्री न ले जाने की स्थिति में धरोहर राशि (ई.एम.डी.) राजसात कर ली जावेगी।

10 निगम परिसर में सामग्री ले जाते समय निगम की किसी भी संपत्ति क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसकी भरपाई निविदाकर्ता को करनी होगी।

11 विक्रय की गई सामग्री के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री को निगम परिसर से अनाधिकृत रूप से ले जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

12 प्रबंध संचालक म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः अमान्य करने का अधिकार होगा।

———

म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
"ऊर्जा भवन" लिंक रोड क्र. 2, शिवाजी नगर भोपाल

निविदा कमांक–ऊविनि / भवन रखरखाव / 20–21 / 2460 / 2792 भोपाल दिनांक 24.11.2020

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,
म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
भवन रखरखाव कक्ष,
"ऊर्जा भवन" मुख्य मार्ग क.–2,
शिवाजी नगर, भोपाल।

विषय :– पुराने सामग्री के विकय बाबत्।
संदर्भ :– निविदा क्रमांक–ऊविनि / भवन रखरखाव / 2020–21 / 2460 / .... दिनांक

आपके द्वारा प्रकाशित पुरानी सामग्री के विकय सूचना विज्ञापन के संदर्भ में निविदा की शर्तानुसार प्रतिभूति के रूप में राशि रूपयं 10,000 / – (रू. दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कमांक....................................... दिनांक .... जो म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल के नाम देय है संलग्न है।

मेरे / हमारे द्वारा पुरानी सामग्री के विकय संबंधी निविदा की शर्तों का अध्ययन किया गया है एवं मुझे / हमे सभी शर्तें मान्य है। **मै / हम निविदा में प्रस्तुत की गई दरों पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. एवं 1 प्रतिशत टी.सी.एस. का भुगतान करने को सहमत है।** निविदा पर हस्ताक्षर कर संलग्न प्रस्तुत है।

भवदीय

निविदाकर्ता का नाम ....

हस्ताक्षर ....

पता ....

दूरभाष कमांक ....

मोबाईल नंबर ....